न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 46/2016

1. रमेश
2. रामसहाय
3. रामदयाल
4. राज

पुत्रान वंशी जाति बैरवा निवासी काशीपुरा तहसील व जिला करौली।

अपी0

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, करौली।
2. प्रधानाध्यापक रा0मा0वि0 काशीपुरा तहसील व जिला करौली।
3. तहसीलदार, तहसील करौली, जिला करौली।

(अपील विरूद्व निर्णय एवं डिकी न्यायालय सहायक कलक्टर करौली मु0न0 72/2013 निर्णय दिनांक 08.06.2016 उनवान रमेश वगै0 बनाम सरकार)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपी0 की ओर से श्री रामजी लाल अग्रवाल
2. रेस्पो0 की ओर से पैरोकार सरकार

14.1.21

निर्णय **दिनांक 14.01.2021**

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 72/2013 निर्णय दिनांक 08.06.2016 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/वादीगण ने एक वाद पत्र घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत, इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 188 रकबा 04 बीघा 03 विस्वा वाके ग्राम काशीपुरा तहसील व जिला करौली स्थित है। जिस पर वादी लगातार 40 वर्ष से काश्त करता चला आ रहा है यानि दीगर व्यक्ति को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं है। काशीपुरा के कुछ व्यक्तियों द्वारा वादी से रंजिश रखते है। इस कारण सरपंच ग्राम पंचायत काशीपुरा के उक्त आराजी को रंजिश वश वादीगण से छुपाकर एवं वादी काबिज होते हुए दिनांक [illegible] को आवंटन करा लिया जिसकी जानकारी होते ही वादीगण [illegible] पंचायत काशीपुरा मु0नं0 12/2004 राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर [illegible] की गयी। विवादित भूमि वादीगण के हक में आवंटन/नियमन [illegible] के निर्णय के वाद से लगातार प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर करौली को प्रस्तुत करता चला आ रहा है। वादीगण के प्रार्थना पत्रों का बगैर निस्तारण किये, गैर कानूनी तरीके से आवंटन हेतु उक्त भूमि उपलब्ध नहीं होते हुये भी दिनांक 17.05.20213 को जिला कलेक्टर करौली द्वारा प्रधानाध्यापक

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:15 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

मा० वि० काशीपुरा को आवंटन कर दी है जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर में करने पर दिनांक 29.07.2013 निरस्त कर दी गई है। द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की हुई है। काशीपुरा में भवन स्कूल का पूर्व में बना हुआ है तथा के पास खसरा नम्बर 373 सिवायचक भूमि मौजूद है। आवंटन तथ्यों को छिपाते हुये एवं रिकार्ड की अनदेखी कर एवं रंजिश की वजह से आवंटन कराया है जो वादीगण के अधिकारों प्रभावहीन है। वादीगण अनुसूचित जाति के है और भूमिहीन है। मौके पर वादीगण द्वारा घेर व मवेशियों को चारा रखने हेतु छप्पर बना रखे है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 गैर कानूनी के आधार पर एलानिया धमकी दे चुके है कि स्कूल खुलते ही बाउण्ड्री करेंगे, वादीगण के हक हकूको पर भारी आघात है और अपूर्ण क्षति है। वादीगण के हक हकूको को सुरक्षित रखने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराना लाजिम है। राजस्व रिकार्ड ऑफ राइटस में अपने नाम की खातेदारी करवाने की इस्तदुआ चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपी० / वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.04.2016 को शेष साक्ष्य को आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.06.2016 को पेश करने हेतु नियत की गई। जिसमें साक्ष्य अपीलांट ना लेकर दावा में बगैर बहस सुने प्रतिवादीगण के हक में निर्णय कर कानूनी भूल की है। प्रकरण को राजकीय मा० वि० को आवंटन प्रार्थी की सुनवाई किये बगैर किया गया है, उसके खिलाफ मामला मा० राजस्व मण्डल में जैरकार है और वहाँ से स्थगन पारित किया हुआ है। इसके बावजूद भी रेसैज्यूडीकेटा के सिद्धान्त पर वादीगण का दावा खारिज करना कतई गैर कानूनी है और दावा को बेबुनियादी आधारो पर बताना भारी भूल है। दावे के तथ्यों का लेश मात्र भी अवलोकन किये बगैर दावा कयासी आधार पर खारिज करने में कानूनी भूल की है क्योंकि वादी 45 सालों से लगातार जमीन विवादित पर काबिज है। जिसमें वादीगण/अपी० ने एक रिहायसी मकान व पाटौर डाल रखी है तथा बाडा बना रखा है। अपी० भूमि हीन अनुसूचित जाति के सदस्य प्रमाणित होते हुये भी राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित आदेशों को ताक में रखकर गैर कानूनी तरीके से दावा खारिज कर के कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का काशीपुरा द्वारा रिकार्ड पर यह जवाब देही करते हुये कि उक्त भूमि स्कूल के लिए उपयोग की नहीं है। मात्र सरकार के खिलाफ होने से दावा खारिज कर के कानूनी भूल की है। अपी० विवादित भूमि पर गत 45 साल से काबिज है, तो यह भूमि आवंटन के लिये खाली नहीं होते हुये भी वादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये वगैर और गैर कानूनी होते हुये भी दावा खारिज किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Barwa Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज फरमायी जावे रेस्पो0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंध फरमाया जाकर अपी0 की अपील स्वीकार फरमायी ।

विद्वान पैरोकार सरकार ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क स्तुत करते हुए बताया कि विवादित आराजी राजकीय सिवायचक होने पर प्रधानाध्यापक मा0वि0 काशीपुरा को तहसीलदार एवं उपजिला कलक्टर करौली के प्रस्ताव के अनुसार जस्थान भू राजस्व (स्कूल, कॉलेज आदि) नियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार राजकीय स्था को आवंटन किया गया है। अपी0 द्वारा बताया गया है कि उक्त भूमि पर 45 साल कब्जा है व खसरा गिरदावरी में दर्ज है। यह राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है सके अनुसार खसरा परिवर्तनशील में अंकित है। अवैध होने पर धारा 91 एल.आर.एक्ट के हत कार्यवाही कर शास्ति से दण्डित किया गया है। अपी0 अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। मिधारी द्वारा राजकीय संस्था को भवन निर्माण हेतु आवंटन प्रकरण विधि अनुसार उपखण्ड धिकारी के माध्यम से जिला कलक्टर करौली को भिजवाये गये थे। रेस्पो0 2 को भूमि आवंटित कर दी गयी है। जिसकी अपील अपीलांट ने राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर करने पर अपील दिनांक 29.07.2013 को खारिज कर दी गयी है। अब वर्तमान में द्वितीय अपील मा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में विचाराधीन है। एक ही भूमि का समान पक्षकार एवं समान विषय वस्तु होने पर दो न्यायालय में वाद नहीं चल सकता है। अपीलांट द्वारा बेबुनियाद अपील पेश की गयी है। आज भी विवादित भूमि राजकीय खाते में अंकित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिग्री पारित की है, वह विधि अनुरूप है। जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल निहित नही है। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक व पैराकार सरकार द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. विवादित आराजी खसरा नम्बर 188 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा बावत अपील सं0 12/2004 अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उनवानी रमेश बगै0 बनाम ग्राम पंचायत काशीपुरा बगै0 दिनांक 16.11.2005 को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित की गयी थी। इस निर्णय अनुसार विवादित आराजी को ग्राम पंचायत काशीपुरा के खाते से हटाकर सिवाचक भूमि दर्ज की गयी थी। अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत की रसीदे प्र[illegible]। जिनमें बावत लगान ग्राम पंचायत लिखा हुआ है। यह ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। [illegible] आधार पर किसी प्रकार के हक हकूक का निर्धारण नहीं होता है। सिवायचक दर्ज होने के बाद जिला कलेक्टर, करौली द्वारा दिनांक 17.05.2013 को इस भूमि को रा0मा0 विद्यालय, काशीपुरा को भवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटित की गयी है। न्यायालय हाजा के द्वारा अपील सं0 90/2013 उनवानी रमेश बगै0 बनाम जिला कलक्टर, करौली बगै0 निर्णय दिनांक 29.07.2013 को अपील सारहीन होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 16:09:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कारण खारिज कर दी गयी। इसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0, मेर में द्वितीय अपील पेश की गयी है, जो वर्तमान में जैरकार है। अपीलार्थी द्वारा खसरा वर्तित निर्धारण (पी–35) प्रस्तुत किये है, इनमें अपीलांट मात्र अतिक्रमी की हैसियत रखते इससे किसी प्रकार के अधिकार प्रोदभूत नही होते है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय ांक 08.06.2016 विस्तृत विश्लेषण उपरान्त पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप किया ना उचित नहीं है। इसलिए अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक लेक्टर, करौली के मु0नं0 72/2013 निर्णय दिनांक 08.06.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.1.21

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.12.16 11:09:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner